



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466 (O)

पत्रांक : 19M(03)CAMP(2021-22)- 24 दिनांक : 12/01/2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदनीनगर
उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदनीनगर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना" के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु कुल रू० 50.00100 लाख (पचास लाख एक सौ रूपये) मात्र का उप-आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021 - 08/स्वी० व०प० राँची, दिनांक 13.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021 - 36/आ० व०प० राँची, दिनांक 25.11.2021
2. इस कार्यालय का पत्रांक 185 दिनांक 13.05.2021, पत्रांक 186 दिनांक 13.05.2021 एवं ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष -103- राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, उप शीर्ष- 03-"जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रू० 50.00100 लाख (चार करोड़ रूपये) मात्र का उप-आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	मजदूरी	19S24060410303010103	30.00460
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060410303010323	19.99640
कुल :-			50.00100

1. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उप-आवंटन का सारांश अनुलग्नक-2 एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
2. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में लगाये गये शर्तों के अनुरूप ही सभी कार्यों का सम्पादन किया जाय।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृत स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाय।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य के लिए राशि उप-आवंटित की जा रही है, उसकी राशि पूर्व में ad-hoc CAMP account में जमा कर दी गई है। स्थानीय बैंक में रखी गई राशि के विरुद्ध किसी भी कार्य को कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं किया जाय।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित परियोजना के अन्तर्गत जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय

[Handwritten Signature]
12/01/2022

आदेशांक 194, ज्ञापांक 2734 दिनांक 30.12.2021 द्वारा निर्गत स्वीकृति में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए कार्य सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना के अन्तर्गत वन भूमि से बाहर कार्य सम्पादन के पूर्व संबंधित भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्य सम्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस योजना के कार्यान्वयन में यह सुनिश्चित करेंगे कि यह isolation में नहीं हो। यद्यपि यह आवंटन पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल एवं पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदनीनगर के क्षेत्राधिकार के लिए है, इस CAT Plan के अन्य catchment जो अन्य प्रमण्डलों में हैं, उनके integration के साथ हो तथा उनके साथ continuation में हो। इसके लिए सभी संबंधित प्रमण्डलों का joint नक्शा तैयार कर लेंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रमण्डल में उक्त कार्य प्रथम वर्ष के लिए है स्वीकृत स्थल पर कार्य करने के पूर्व एवं कार्य करने के उपरांत का प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित करेंगे ताकि परिवर्तन का आंकलन किया जा सके।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन क्षेत्रों में जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे हैं वहाँ वन्यजीव पर्यावास का विकास एवं अन्य श्रोत से प्राप्त राशि का व्यय नहीं करेंगे।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्थल विशिष्ट स्वीकृत प्राक्कलन तथा सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा। यह प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत योजनावार विभागीय कार्य दर के अनुसार प्राक्कलित राशि के अनुरूप होगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के किसी योजना के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग योजना का नाम स्वयं नहीं देंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत किसी दो योजनाओं के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग प्राक्कलन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

13. अगर संलग्न विवरणी में किसी भी वन प्रमण्डल के पक्ष में प्रदर्शित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में कोई विसंगति पायी जाती है, तो कृपया इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में तुरंत लाया जाय ताकि उसका इस वित्तीय वर्ष में निराकरण किया जा सके।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत कार्य नियोजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना के अनुरूप सम्पादित कराया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के कैम्पा वार्षिक कार्य योजना से सम्पादित कराये गये सभी कार्यों से संबंधित सूचनाओं को को e-green watch portal पर upload करने के पश्चात् ही राशि की निकासी/व्यय किया जाय।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत वैसे कार्य जिनका कार्यान्वयन रीजन स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदन के उपरांत किया जाना है वैसे कार्यों का रीजन स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर ही करेंगे।

17. राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार विभिन्न बिन्दुओं का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

i. Use of CAMPA fund for Van Mahotsav/Publicity, forest protection, public awareness, capacity building etc must be directly linked to forest regeneration and improvement in forest cover/wildlife habitat in area terms. Area (in Ha) should be the monitorable parameter for these activities. Hence, geo-coordinates of treated sites shall be invariably uploaded on e-Green Watch portal in time. Vehicle, if in exceptional cases only for CAMPA related work required, should be hired instead of procurement for frontline staffs only. Forest/Wildlife Protection Force/Mobile Squad shall not be funded under CAMPA, as this is primarily the responsibility of State Govt./UT Adm.

ii. The utility of fire watch tower must be thoroughly evaluated in light of FSI's Real Time Fire alert system, and shall be accorded to in highly exceptional cases, for which justification will be provided.

 12/01/2022

- iii. For improvement of wildlife habitat, CAMPA fund should be utilized only for raising of fodder and fruit bearing trees, soil & moisture conservation, augmentation measures and invasive weed control. Fencing and constructions of essential protection infrastructure if required, in exceptional circumstances may be done under CAMPA fund by using locally available eco-friendly materials and only after assessing site specific requirement.
- iv. Use of CAMPA Funds for construction of concrete/Masonry boundary walls, fencing etc inside the forest and the Protected Areas shall be avoided. Fencing, if at all required, should be of bio-fencing, cable fencing, solar fencing etc.
- v. All major activities in PA area shall be part of approved Wildlife Management Plan. For activities in Tiger Reserves, the NTCA and for activities in other PA area, The Wildlife Division of MoEF&CC, should be consulted before hand. Any large activity in Wildlife area, such as wild boar/elephant proof fencing etc. should be first evaluated for site specific need by WII.
- vi. For mitigation of impacts of natural calamities, due care should be taken while selecting sites and such plantations are supported through suitable techniques to protect the plantations.
- vii. Funding for supply of wood saving appliances/ energy saving conventional source of energy to fringe forest villages should be obtained from schemes of the concerned Ministry like MNRE, MP&NG etc. before approaching the National Authority for funding.
- viii. Compulsory inclusion of following details in the APOs as a separate chapter shall be a precondition for approval of the APOs in future:
 - (a) uploading of correct KML files and geo-coordinates of all afforestation and other major works carried out on e-Green Watch;
 - (b) completing monitoring and evaluation (both routine monitoring and third party monitoring) of works undertaken and action taken on the recommendations;
- ix. It is to ensure that there is no overlapping of activities/funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.
- x. Local species, especially fruit and fodder species, has to be given preference in afforestation/ regeneration to be carried out; monoculture should not be undertaken, and planting of exotic species shall be avoided.
- xi. Compensating the loss of ecological services due to forest diversion for non-forestry purposes is the main objective of Compensatory Afforestation Fund. Regeneration and development of forests should, therefore, be given priority. Also, priority should be accorded to labour intensive activities for regeneration and development of forests.
- xii. Works related to Eco-tourism and Eco-development are permissible only as per approved site-specific schemes.
- xiii. Soil and moisture conservation work shall be carried out in an integrated manner under watershed approach from "ridge to valley" only in degraded forests. This shall focus assisted natural regeneration and supplemented by artificial seeding with quantifiable monitoring parameters. Construction of dam, stops dams and their deepening are to be taken up only if they are a part of an integrated soil and moisture conservation plan of the catchment area. Since this component (SWC for regeneration of forests) is a very large work, the efficacy of the design and activities shall concurrently monitored by reputed independent agency. Actions will be, accordingly, taken during the lifetime of each project. The overall impact on improved forest regeneration shall be shared with NAEB (MoEF&CC) on an annual basis.
- xiv. Purchase of vehicles shall avoided. Instead, hiring of vehicles shall be the first option. Repair/ maintenance of vehicles shall be limited to the vehicles purchased from the CAMPA funds previously.

 12/01/2022

- xv. Utilization of State Compensatory Afforestation Fund (CAF) shall be done in such a manner that at least 80 per cent is used for afforestation forest development and wildlife habitat improvement and maximum 20 per cent be used for infrastructure/capacity building related items.
- xvi. All concerned officers shall also ensure that there is no overlapping of activities/funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.
18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2018 में निहित निम्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 185 दिनांक 13.05.2021 द्वारा भेजी गयी है—

- (i) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास संबंधी कार्य अनुमोदित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना अथवा कार्य नियोजना के अनुसार किये जायेंगे।
- (ii) NPV & Penal NPV में संदर्भित वनभूमि पर किए जानेवाले कार्य कार्य नियोजना (Working Plan)/ अनुमोदित वन्यजीव प्रबंधन योजना के अनुसार किए जाएंगे।
- (iii) परंतु यह कि वे कार्य, जो कार्य नियोजना के अनुसार ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति के परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और इसके तहत जारी दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।
- (iv) परंतु यह कि वे कार्य, जो अनुमोदित कार्य नियोजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, यथालागू ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से सम्पादित कराये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।
- (v) ग्राम सभा/ ग्राम वन समिति/ अन्य प्राधिकरण के उपरोक्त वर्णित परामर्श का अभिलेख संधारित किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021-08/स्वी0 व0व0 दिनांक 13.09.2021 में अधिरोपित सभी शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवत है :-

19. (I) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- (II) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
- (III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

20. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।

21. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे—

- (II) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
- (III) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

 12/01/2022


- (IV) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।
- (V) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।
- (VII) वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृत योजना की प्रारंभिक प्रविष्ट सभी बाउण्ड्री आधारित पॉलीगन पर किया जाय। तदनुसार राशि विमुक्त की जाय।

22. Monitoring: विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी:-

- (क) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।
 - (ख) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
23. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करेंगे।
- (V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।
- (VI) योजना का संक्षिप्त ब्यौरा e-green watch पर नियमित रूप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।
- (VII) सभी भुगतान यथासंभव DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।
- (IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
- (X) कंडिका-IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO को होगा।


22. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (II) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय यथासंभव e-GEMS से किया जाय।
- (III) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय यथासंभव e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

 12.11.2021

23. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।
24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान यथासंभव मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में कंडिका 23 (IV) एवं (VIII) संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी।
25. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों का पालन किया जाय।
26. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में कंडिका 23 (VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।
27. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
28. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
29. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
30. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
- इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 13.09.2021 जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021 द्वारा प्रेषित है में उल्लिखित शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित मुख्य वन संरक्षक का होगा।
- अनुलग्नक :- यथोक्त।**


आपका विश्वासी,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, रांची।
12/01

ज्ञापांक- 19M(03)CAMP(2021-22)- 24

दिनांक- 12/01/2022


प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याध परियोजना, मेदिनीनगर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक :- यथोक्त।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
12/01/2022

ज्ञापांक- 19M(03)CAMP(2021-22)- 24

दिनांक- 12/01/2022

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक :- यथोक्त।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
12/01/2022


झारखण्ड कैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2021-22 : उपशीर्ष "03-जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना"

(मजदूरी दर : रू0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना			
		परियोजना का नाम	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना।	15.00230	9.99820	25.00050
2	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना।	15.00230	9.99820	25.00050
	सकल योग		30.00460	19.99640	50.00100


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
 प.म.

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

अनुलग्नक -2

माँग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S24060410303010103	19S24060410303010323	Total
1	2	3	4	5	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	8
1	Palamu	PLMFOR069	Kumar Ashish I/s	Dy.Dir.Tiger.Pro.North.Div.Med	₹15,00,230.00 (71843)	₹9,99,820.00 (71846)	₹25,00,050.00
2	Palamu	PLMFOR068	Mukesh Kumar	Dy.Dir.Tiger.Pro.South.Div.Med	₹15,00,230.00 (71844)	₹9,99,820.00 (71847)	₹25,00,050.00

कुल आवंटित राशि :- ₹50,00,100.00 (ipkl yk[k ,d lkS) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए


(SANJEEV KUMAR)
ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND RANC

Addl. PCCF. CAMPA
Jharkhand, Ranchi
12/01.



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

अनुक्रम-3.

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 19M03CAMP-2021/24

दिनांक - 12-Jan-2022

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060410303010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना 01-जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	71843	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	1,500,230.00 रुपये पंद्रह लाख दो सौ तीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060410303010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना 01-जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	71844	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	1,500,230.00 रुपये पंद्रह लाख दो सौ तीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060410303010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना 01-जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	71846	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	999,820.00 रुपये नौ लाख निम्नानवे हजार आठ सौ बीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			


योग: रुपये चालीस लाख दो सौ अस्सी
क्रमिक योग:

4,000,280.00

(SANJEEV KUMAR) 12/01/2022

ADDL PCCF, CAMP, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060410303010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना 01-जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	71847	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	999,820.00 रुपये नौ लाख निम्नानवे हजार आठ सौ बीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			



योग: रुपये पचास लाख एक सौ
क्रमिक योग:

999,820.00

5,000,100.00

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR) 12/01/2022
ADDL PCCF CAMPA, JHARKHAND